12/11/08

विविध–वाद सं0 : 115/2008–09

(राज्य बनाम सीताराम साव वगै0)

आदेश

सुनवाई की निर्धारित तिथि में प्रतिवादी पक्ष को सुना गया और दाखिल लिखित जवाब को अभिलेखबद्ध कर अंचल–कार्यालय के विविध वाद सं0 01/2008–09 में विज्ञ अंचल–अधिकारी जमुआ के द्वारा दि0 07.04.2008 में अनुशंशा के साथ अग्रसारित किए गए इस वाद अभिलेख में पारित आदेश का अवलोकन भी किया गया। इस वाद–अभिलेख की कार्रवाई आम ग्रामीण जनता कन्दाजोर के द्वारा दिए गए परिवादपत्र तथा उसके विरूद्ध अंचल अधिकारी जमुआ के पत्रांक 01 दि0 01.01.2008 के द्वारा अपर समाहर्त्ता गिरिडीह को प्रेषित जाँच–प्रतिवेदन के पश्चात अपर समाहर्त्ता गिरिडीह के पत्रांक 509 दि0 28.02.2008 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अंचल–अधिकारी जमुआ के द्वारा आरंभ की गई है।

विज्ञ अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूखंड सर्वे–खतियान के अनुसार भुतपूर्व मध्यवर्ती बद्री पांडेय के बकाश्त खाता की भूमि है। केदार पांडेय के द्वारा वादगत खातान0 03 के खेसरान0 156 में रकबा 2.22 ए0 की बिक्री निबंधित केवाला दि0 16.07.79 के द्वारा सरजू पांडेय को की गई। सरजू पांडेय के नाम से दाखिलखारीज के उपरांत पंजी।। में जमाबंदी कायम हुई और उनके द्वारा लगान का भुगतान कर सरकारी रसीद की प्राप्ति भी की गई। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि सरजू पांडेय के द्वारा वादगत भूखंड में से ही निबंधित केवाला दि0 12.09.82 के माध्यम से 0.56ए0 भूमि सीताराम साव वगैरह (विपक्षी सं0–1) को , निबंधित केवाला दि0 23.09.82 के माध्यम से 0.12ए0 भूमि सुमित्रा देवी (विपक्षी सं0–2) को , निबंधित केवाला दि0 22.09.82 के माध्यम से 0.44 ए0 भूमि मंहेन्द्र साहू वगैरह (विपक्षी सं0–3) को एवं निबंधित केवाला दि0 15.06.83 के माध्यम से 0.48 ए0 भूमि सहदेव राम (विपक्षी सं0–4) के साथ–साथ कई अन्य व्यक्तियों के पास बिक्री की गई है। निम्न–न्यायालय अभिलेख अंतर्गत हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–1,2 तथा 3 के नाम से लगान निर्धारणवाद सं0 1024, 1025, 1026 सभी वर्ष 1984–85 के अंतर्गत पंजी।। में जमाबंदी कायम की गई हैं। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार उर्पयुक्त आलोक में बकाश्त खाता की भूमि होने

Scanned with CamScanner

के कारण जमाबंदी रद्द किए जाने की अनुशंशा बी0एल0आर0 1950 की धारा 4(एच) के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगा। इसलिए निम्न–न्यायालय के द्वारा की गई अनुशंशा को खारीज किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिपक्ष अपने उर्पयुक्त तर्क के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुतीकरण यथा (लगान निर्धारणवाद सं0 1024, 1025, 1026 सभी वर्ष 1984–85 के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि का प्रस्तुतीकरण) और वादगत भूखंड के दखल (सार्वजनिक आम उपयोग) के संबंध में संतोषजनक उत्तर देने में जहाँ असफल रहें हैं, वहीं उनकी व्याख्या भ्रामक भी प्रतीत होती है। वादगत भूमि का निबंधित केवाला दि0 16.07.79 के द्वारा सरजू पांडेय के द्वारा कय के पश्चात दाखिलखारीज की किया के अंतर्गत उनके नाम से पंजी।। में जमाबंदी कायम किए जाने तथा लगान रसीद निर्गत किए जाने के बाद सरजू पांडेय के द्वारा पुनः बिकी किए गए उसी भूमि का लगान निर्धारण किए जाने संबंधि व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सरजू पांडेय के नाम से वादगत भूमि की दाखिलखारीज हुई तो फिर पुनः उनके क्रेतागण के नाम से लगान निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहाँतक वादगत भूमि पर दखल का प्रश्न है तो अभिलेख में संलग्न आम ग्रामीण जनता कन्दाजोर के द्वारा दिए गए परिवादपत्र तथा उसके विरूद्ध अंचल अधिकारी जमुआ के पत्रांक 01 दि0 01.01.2008 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वादगत भूखंड का उपयोग चारागाह , अडवार के रूप में वर्षों से किया जाता रहा है। भूखंड के ही एक हिस्से में बुद्ध–मंदिर निर्मित है , जहाँ प्रतिवर्ष बुद्ध–मेला का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेवटदार बद्री पांडेय के द्वारा उनके जीवनकाल में ही एक हुकुमनामा के द्वारा वादगत भूखंड की बंदोबस्ती अडवार के रूप में किए जाने का भी उल्लेख प्रतिवेदन में प्राप्त है (जाँच–प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध)। इससे यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि प्रारंभ से ही सार्वजनिक उपयोग में निहित चली आ रही है और उसपर प्रतिवादी पक्ष या उनके बिक्रेता पक्ष कभी भी दखलकार नहीं रहें हैं। पंजी।। में कायम जमाबंदियाँ 152(1), 153(1), 151(1) तथा 166(1) के संबंध में दिए गए जाँच प्रतिवेदन (मात्र पंजी।। के इन्द्राज पर आधारित) से भी यही प्रतीत होता है कि ये सभी जमाबंदियाँ या तो किसी राजस्व–कर्मचारी के द्वारा किसी काल्पनिक वाद सं0 का उल्लेख करते हुए बिना किसी सक्षम

Scanned with CamScanner

पदाधिकारी के आदेश के कायम कर दी गई है , अथवा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंचल अधिकारी जमुआ के द्वारा लगान–निर्धारण का कार्य किया गया है। वस्तुतः बकाश्त खाता की भूमि होने के कारण जमाबंदी रद्द किए जाने की अनुशंशा बी0एल0आर0 एक्ट 1950 की धारा 4(एच) के अंतर्गत विचारणीय नहीं होकर सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना फर्जी और अवैध रूप से कायम की गई जमाबंदी को रद्द किए जाने की प्रकिया के अंतर्गत यह वाद विचारणीय होगा। अतः अवैध रूप से कायम जमाबंदी पृष्ठ सं0 152(1), 153(1), 151(1) तथा 166(1) में संलिप्त हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और अंचल अधिकारी को नामित किए जाने के साथ–साथ उनपर आरोप तय किए जाने एवं इन अवैध जमाबंदियों को रद्द किए जाने किए जाने की अनुशंशा की जाती है। अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह को भेजी जाए।

18/11/08

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

29/11/08

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.05.11 01:03:13 +05:30
Location: 192.168.29.192

Scanned with CamScanner